

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना


पटना, दिनांक 26/12/13

संख्या—10 / विविध—01—(पटना)—133 / 2011 साठप्र० 19553..... बिहार समूह 'घ' (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली—2010 के द्वारा समूह 'घ' के पदों पर सीधी भर्ती हेतु उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अष्टम वर्ग उत्तीर्ण निर्धारित की गयी थी, परन्तु वित्त विभागीय संकल्प संख्या—2937 दिनांक 31.03.2011 के द्वारा भविष्य में समूह 'घ' के पद की नियुक्ति की शैक्षणिक योग्यता दसवीं उत्तीर्ण निर्धारित की गयी, फलस्वरूप सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या—16970 दिनांक 12.12.2012 द्वारा, बिहार समूह 'घ' (भर्ती एवं सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली—2012, अधिसूचित कर उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं (मैट्रिक) उत्तीर्ण या समकक्ष निर्धारित कर दी गई है, जो तुरन्त के प्रभाव से प्रभावी है।

वित्त विभागीय संकल्प संख्या—2937 की निर्गत की तिथि 31.03.2011 से समूह 'घ' (संशोधन) नियमावली—2012 की अधिसूचित होने की तिथि के पूर्व की तिथि अर्थात् 31.03.2011 से, 11.12.2012 की अवधि के लिए समूह 'घ' के पदों पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, सरकार के विचाराधीन था।


अतः बिहार समूह 'घ' (भर्ती एवं सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली—2012 के अधिसूचित होने की तिथि दिनांक 12.12.2012 के पूर्व तक, पूर्व की नियमावली के अनुसार समूह 'घ' के पदों पर नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अष्टम वर्ग उत्तीर्ण ही होगी।

इसमें विधि विभाग एवं वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।


सरकार के अवर सचिव
26/12/13


ज्ञापांक—10 / विविध—01—(पटना)—133 / 2011 साठप्र० 19553..... / पटना—15, दिनांक 26/12/13

प्रतिलिपि:—अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को, बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव
26/12/13

ज्ञापांक—10 / विविध—01—(पटना)—133 / 2011 साठप्र० 19553..... / पटना—15, दिनांक 26/12/13

प्रतिलिपि:—सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / राज्यपाल सचिवालय / मुख्यमंत्री सचिवालय / स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली / महानिदेशक, बिपार्ड, पटना / महाधिवक्ता का कार्यालय, पटना / राज्य अभिलेखाकार, पटना / बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना / लोकायुक्त कार्यालय, पटना / प्रभारी, आई०डब्ल०डी०एम०एस०, टी०सी०एस० कोषांग, वित्त विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव
26/12/13